रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 19 अगस्त, 1975

श्रावण 28, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3132 सत्रह-वि-1--41-75

लखनऊ, 19 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) विधेयक, 1975 पर दिनांक 14 अगस्त, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1975)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कुछ लाभप्रद पदों को धारण करने के आधार पर स्थानीय निकायों की सदस्यता के लिये अनर्हता के निवारण की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1975 कहलाएगा ।

स्थानीय निकायों की सदस्यता के लिए अनर्हता का निवारण

2--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961, यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 अथवा स्थानीय निकाय के गठन से सम्बन्धित किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट कोई पद, जहां तक कि वह सरकार के अधीन या दान से अथवा निस्तारण में लाभ का पद या स्थान है, उसके धारक को किसी स्थानीय निकाय का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायगा ।

No. 3132 (2) /XVII-V—1-41-75

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sthaniya Nikeya (Anarhata Niwaran) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 1[illegible], 1975 :

THE UTTAR PRADESH LOCAL BODIES (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1975

(U. P. ACT NO. 32 of 1975)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

AGT

to provide for the prevention of disqualification for membership of local bodies on the basis of holding certain offices of profit.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Local Bodies (Prevention of Disqualification) Act, 1975.

Prevention of disqaulification for membership of local bodies.

2. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, the U. P. Municipalities Act, 1916, the U. P. Town Areas Act, 1914, the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 or in any other law relating to the composition of any local body, no office specified in section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, as amended from time to time, in so far as it is an office or place of profit under or in the gift or disposal of Government shall disqualify or be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as or for being, member of any local body.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।